मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23 / 12 / 2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य–तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 300 रू. प्रतिमाह पेंशन हितग्राही के खाते में प्रदाय की जाती है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

- **60** वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो। **अथवा**
- **18** वर्ष से अधिक किन्तु **59** वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। **अथवा**
- **18** वर्ष से अधिक किन्तु **39** वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। **अथवा**
- **18** से अधिक किन्तु **59** वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। **अथवा**
- **6** वर्ष से अधिक तथा **18** वर्ष से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति जिसकी निःशक्तता **40** प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो। **अथवा**
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वृध्दाश्रम में निवासरत अंतः वासी।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया–

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) • स्कूल का प्रमाणपत्र / अंकसूची • जन्म प्रमाणपत्र	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर